राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकःप.7(1)राज-6/16पार्ट/20 जयपुर, दिनांकः 27/05/2025

परिपत्र

पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.13(1)राज-6/2020 दिनांक 05.12.2023 की निरन्तरता में लेख है कि विक्रय दस्तावेजों के पंजीयन होने के साथ ई-धरती पोर्टल पर स्वतः नामान्तरण के आधार पर जमाबन्दी में आवश्यक इन्द्राज ऑनलाईन स्वतः (Auto) दर्ज किये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

1. जमाबन्दी में सह खातेदार होने पर उक्त खाते में से किसी एक खातेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के आधार पर विक्रय किया जाता है तो स्वतः नामान्तरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावे।
2. जमाबन्दी में एकल खातेदार होने पर सम्पूर्ण खसरे के आंशिक भाग का रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के आधार पर विक्रय किया जाता है तो स्वतः नामान्तरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावे।
3. पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के माध्यम से कृषि भूमि का विक्रय किया जाता है तो स्वतः नामान्तरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावे।

उक्त प्रकृति के विक्रय दस्तावेज पंजीयन के पश्चात प्राप्त होने पर उनका स्वतः नामान्तरण दर्ज नहीं किया जाना है। अतः उक्तानुसार ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में अपडेट करने हेतु NIC को निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

27/05
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित हो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
7. आयुक्त, भू-प्रबन्ध एवं जागीर विभाग, राजस्थान।
8. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, जयपुर।
14. श्री अरूण माथुर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
15. एसीपी, राजस्व विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव